राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 6174/2022

बाल चन्द कारपेन्टर —अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.11.2022
आदेश की दिनांक : 01.12.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सलौतिया ब्लॉक झालरापाटन, झालावाड़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.11.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पापडा, भरतपुर किया गया, जबकि अपीलार्थी राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित है (अनुलग्नक–2)। ऐसे पुरस्कृत अध्यापकों का स्थानान्तरण करते समय प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 3 विकल्प कार्मिकों से लेने चाहिए, जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से एक भी विकल्प नहीं लिया गया। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 07.02.2011 एवं 29.04.2013 (अनुलग्नक–3) का उल्लंघन किया गया है। अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण, जोधपुर में दायर अपील संख्या 368/2022 रामसिंह जाट बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 (अनुलग्नक–4) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान तथ्यों पर आधारित बताया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.11.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च

माध्यमिक विद्यालय, सलौतिया ब्लॉक झालरापाटन, झालावाड़ में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी राज्य स्तरीय पुरस्कृत कार्मिक है। राज्य सरकार के पुरस्कृत अध्यापकों के स्थानान्तरण के संबंध में दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.10.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य